16.8.18 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, व 5 का जवाब दिनांक 5.7.18 को प्रस्तुत किया जिसे आज शा.प० किया गया। साथ ही विपक्षी संख्या 3.4, 6, 7 व 8 की ओर से भी प्रार्थना पेश किया जिसे भी रेकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस अन्तिम किये जाने की इस्तदुआ की गई जिसे न्यायहित मे स्वीकृत की गई। उभयपक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थीगणो के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर तहसील मांडल मे स्थित आराजी नं. 3066 रकबा 02 बिस्वा भूमि समस्त पंच ग्राम बागोर के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि के सेटलमेन्ट से पूर्व साबिक आराजी सं. 1656 रकबा 04 बिस्वा थी। परन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा नियमो से परे जाकर वादग्रस्त आराजी मे से 02 बिस्वा भूमि कर केवल 02 बिस्वा भूमि कम कर दी गई। शेष भूमि 02 बिस्वा जमीन आराजी सं. 3067/6744 मे शामिल कर दी गई। जो वर्तमान नक्शे व साबिक नक्शे से स्पष्ट है। इसलिए विपक्षीगण को मौके की यथास्थिति रखने हेतु पाबंद किया जावे। इसके विरुद्ध विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाब को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य मे वादग्रस्त आराजी सं. 3066 का कोई भी रकबा विपक्षीगण की आराजी नं. 3067/6744 रकबा 15 बिस्वा मे सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा नही मिलाया गया है। बल्कि यह रकबा सही तौर से दर्ज हुआ है। आराजी संख्या 3067/6744 साबिक आराजी नं. 1657 से बनी है ओर साबिक आराजी नं. 1656 का कोई भी भाग नही मिला है। पटवारी हल्का बागोर द्वारा भी मौका पर्चा दिनांक 28.6.18 को सीमा ज्ञान कराकर बनाया ओर बल्कि हमने कई वर्षो पूर्व आराजी नं. 3067/6744 रकबा 15 बिस्वा पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की है ओर उसी पर हम काबिज चले आ रहे है। ओर उस पर हमारा निर्माण कार्य कर रहे है। ओर आराजी संख्या 3066 का रकबा 04 बिस्वा किसी भी परिस्थिति मे दर्ज नही किया जा सकता है क्यो कि मौके पर उतना रकबा मौजूद ही नही है। उसका कुछ भू-भाग आराजी नं. 3066 के पश्चिम मे स्थित सरकारी रास्ता नं. 3042 से मिल गया है। पहले आराजी नं. 3042 वाला रास्ता नक्शा ट्रेस मे सकंडा दर्ज था। ओर न ही वह आराजी पंचो के नाम पर दर्ज है। ऐसी परिस्थिति मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र मे तथ्यात्मक विरोधाभास होने से उनके द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से निरस्तनीय है। ओर आराजी संख्या 3067/6744 रकबा 15 बिस्वा की रेकार्डेड खातेदार विपक्षी सं. 2 श्रीमती रामकन्या माली है। इसलिए किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षकारान् की बहस पर मनन किया तथा विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा का अवलोकन करने से यह जाहिर आया कि प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है। तथा प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही होकर सुविधा सतुंलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रार्थीगण साबित कराने मे असफल रहे है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति भी नही हो रही है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य समझती हूं।	
	अत: आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने मे असफल रहने के कारण पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 21-6-18 को निरस्त की जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. को खारिज किया जाता है।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद पत्र के साथ संलग्न हो।	
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	